<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 17/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा /20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम-VIII (खंड फाइल)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 17/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक परिसर,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003.

जारी करने की तारीख : 15 सितम्बर, 2021

हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 24.03.2021 के आदेश संख्या 65/2020-21 के मामले में–उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.09.2021 के बाद भी जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।

यह निम्नलिखित हवाईअड्डों के संबंध में मौजूदा टैरिफ की वसूली नीचे तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार 30.09.2021 के बाद भी करने की अंतरिम व्यवस्था को बढ़ाने के संबंध में है:-

I. एएआई हवाईअड्डे:

क्र. सं.	हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम
1.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	चेन्नई
2.		कोलकाता
3.		पुणे
4.		गोवा
5.		कालीकट

(i) ऊपर उल्लिखित हवाईअड्डों के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित की जानी है। इन सभी हवाईअड्डों के संबंध में एमवाईटीपी/एटीपी प्राधिकरण को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

(ii) यह ध्यान में रखते हुए कि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगेगा प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि 30.09.2021 को लागू टैरिफ 01.10.2021 से 31.03.2022 तक छ: (6) माह की अवधि या तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जा सकती है।

II. <u>पीपीपी हवाईअड्डे:</u>

क्र.सं	हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम
1.	मैसर्स अदानी	अहमदाबाद
2.		लखनऊ
3.		मंगलुरू

(i) ऊपर उल्लिखित हवाईअड्डों के लिए उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए टैरिफ निर्धारित की जानी है। प्राधिकरण को मंगलुरू और लखनऊ हवाईअड्डों के संबंध में एमवाईटीपी/एटीपी प्राप्त हो चुके हैं और अहमदाबाद हवाईअड्डे संबंधी एमवाइटीपी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ii) यह ध्यान में रखते हुए कि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगेगा प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि 30.09.2021 को लागू टैरिफ 01.10.2021 से 31.03.2022 तक छ: (6) माह की अवधि या तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जा सकती है।

<u>आदेश</u>

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा आदेश देता है कि :-

(i) **हवाईअड्डा प्रचालकों** (उपर्युक्त तालिका **I** और **II में** सूचीबद्ध) को 30.09.2021 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली अंतरिम आधार पर 01.10.2021 से 31.03.2022 तक अगले छ: (6) माह की अवधि या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित होने तक, जो भी पहले हो, करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

(i) अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली **-110003.**

(ii) अदानी, अदानी कॉर्पोरेट हाऊस,
शांतिग्राम, एस.जी. हाईवे,
अहमदाबाद - 382421, गुजरात, भारत
(मार्फत: श्री बेहनाद जैन्दी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

<u>प्रतिलिपि</u>:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110003

(ii) नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए